# अनुदान संख्या 49 - परिवार कल्याण विभाग
# GRANT No. 49–DEPARTMENT OF FAMILY WELFARE

| | | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (हजार रुपयों में) (In thousands of rupees) |
| राजस्व: | **Revenue:** | | | | |
| स्वीकृत- | Voted– | | | | |
| मूल | Original | 7769,01,00 | 7769,03,00 | 6701,19,70 | –1067,83,30 |
| पूरक | Supplementary | 2,00 | | | |
| वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि | Amount surrendered during the year | | | | 892,00,00 |

*टीका और टिप्पणियां*

1. अनुदान में बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

***Notes and comments***

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

| शीर्ष | Head | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| मुख्य शीर्ष "2211" परिवार कल्याण | Major Head "2211" Family Welfare | | | | |
| मू. | O. | 345759.00 | 422450.09 | 404092.73 | –18357.36 |
| पू. | S. | 2.00 | | | |
| पु. | R. | 76689.09 | | | |
| मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्रा | Major Head "2552" North Eastern Areas | | | | |
| मू. | O. | 64240.00 | . . | . . | . . |
| पु. | R. | –64240.00 | | | |
| मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान | Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments | | | | |
| मू. | O. | 351586.00 | 254363.91 | 254012.50 | –351.41 |
| पु. | R. | –97222.09 | | | |

| शीर्ष | Head | | कुल अनुदान Total grant | वास्तविक व्यय Actual expenditure | अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving– |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees) |
| मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्रा की सरकारों को सहायता अनुदान | Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments | | | | |
| मू. | O. | 1900.00 | 1473.00 | 1336.31 | –136.69 |
| पु. | R. | –427.00 | | | |
| मुख्य शीर्ष "3606" सहायता सामग्री तथा उपस्कर | Major Head "3606" Aid Materials and Equipments | | | | |
| मू. | O. | 13000.00 | 9000.00 | 10262.15 | +1262.15 |
| पु. | R. | –4000.00 | | | |

(I) 94190.00 लाख रु. का प्रावधान निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत पांच मामलों में पूर्णतया अप्रयुक्त रहा:-

(का) मुख्य शीर्ष "2211"-

(क) "ग्रामीण परिवार कल्याण सेवाएं - उप-केंद्रों के रख-रखाव पर व्यय"- 5500.00 लाख रु. इस स्कीम का विलय राज्य कार्यक्रम कार्यान्वयन योजनाओं के लिए प्रजनन और बाल स्वास्थ्य लचीला पूल के साथ किए जाने के कारण थे।

(ख) "अन्य सेवाएं और आपूर्तियां - सामाजिक विपणन क्षेत्रा परियोजनाएं"- 950.00 लाख रु. वित्तपोषण के लिए गैर-सरकारी संगठनों से व्यवहार्य प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण थे।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्रा और सिक्किम की परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान" - 64240.00 लाख रु. सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.94190.00 lakhs remained wholly unutilised in five cases under the following major heads:-

(A) Major Head "2211" –

(a) "Rural Family Welfare Services – Expenditure on maintenance of Sub-Centres" – Rs.5500.00 lakhs – due to merging of scheme with the Reproductive and Child Health Flexible Pool for State Programme Implementation Plans.

(b) "Other Services and Supplies – Social Marketing Area Projects" – Rs.950.00 lakhs – due to non-receipt of feasible proposal from the Non-Government Organisations for financing.

(B) Major Head "2552" – "Other Expenditure– Provision for Projects/Schemes of North Eastern Areas and Sikkim" – Rs. 64240.00 lakhs – due to re-appropriation of funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern States including Sikkim.

(गा) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - परिवार कल्याण - मातृत्व और बाल स्वास्थ्य - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना''- 23000.00 लाख रु. प्रजनन और बाल स्वास्थ्य औषधियों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण थे क्योंकि इस कार्यक्रम को विश्व बैंक के साथ अंतिम रूप नहीं दिया जा सका था।

(घा) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - परिवार कल्याण - मातृत्व और बाल स्वास्थ्य - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना''- 500.00 लाख रु. विश्व बैंक से अनापत्ति प्रमाण-पत्रा प्राप्त न होने की वजह से निविदाएं जारी न किए जाने के कारण थे।

(II) मुख्य शीर्ष ''2211'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''प्रशिक्षण''-

(क) ''राष्ट्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संस्थान, नई दिल्ली''- 188.71 लाख रु. की बचत (1595.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संस्थान के पास पिछले अनुदान के अव्ययित शेष उपलब्ध रहने की वजह से अनुदान जारी न किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, नजफगढ़'' - 456.92 लाख रु. की बचत (796.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) योजना आयोग और वित्त मंत्रालय द्वारा ग्रामीण स्वास्थ्य संबंधी प्रशिक्षण के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(खा) ''अनुसंधान और मूल्यांकन - जनसांख्यिकीय और अन्य संचार अनुसंधान''- 137.69 लाख रु. की बचत (700.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) जनसंख्या अनुसंधान केंद्रों के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध रहने और उपयोग प्रमाण-पत्रा प्राप्त न होने की वजह से अनुदान जारी न किए जाने के कारण हुई।

(गा) जन शिक्षा''-

(C) Major Head "3601" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Family Welfare- Maternity and Child Health – Reproductive and Child Health Project" – Rs.23000.00 lakhs – due to non-procurement of Reproductive Child Health drugs as the programme could not be finalised with the World Bank.

(D) Major Head "3602" - "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Family Welfare – Maternity and Child Health – Reproductive and Child Health Project" – Rs.500.00 lakhs – due to non-floating of tenders owing to non-receipt of No Objection Certificate from the World Bank.

(II) Under Major Head "2211" – savings occurred under the following heads:-

(A) "Training"-

(a) "National Institute of Health and Family Welfare, New Delhi" - saving of Rs.188.71 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1595.00 lakhs) was due to availability of unspent balances of previous grants with the Institute.

(b) "Rural Health Training Centre, Najafgarh" – saving of Rs.456.92 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.796.00 lakhs) was due to non-approval of the proposal for establishment of Centre of Excellence for Training in Rural Health by the Planning Commission and Ministry of Finance.

(B) "Research and Evaluation – Demographic and Other Communication Research" – saving of Rs.137.69 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.700.00 lakhs) was due to non-release of grant owing to unspent balances lying with the Population Research Centres and non-receipt of utilisation certificates.

(C) "Mass Education" -

(क) ''सूचना, शिक्षा और संचार - आरसीएच परियोजना'' - 625.53 लाख रु. की बचत (5500.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) ''सूचना, शिक्षा और संचार किशोर स्वास्थ्य'' - 237.53 लाख रु. की बचत (470.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्यों से उपयोग प्रमाण-पत्रों/लेखापरीक्षित लेखा विवरणों के प्राप्त न होने की वजह से अनुदान जारी न किए जाने और उनके पास अव्ययित शेष उपलबध रहने के कारण हुईं।

(ग) ''सूचना, शिक्षा और पीएनडीटी अधिनियम संबंधी संचार''- 248.47 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(घ) ''अन्य प्रचार कार्यकलाप''- 473.45 लाख रु. की बचत (2200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्यों और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय की जनसंचार इकाइयों के प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण हुईं।

(घा) ''चयनित क्षेत्रा कार्यक्रम (भारत जनसंख्या परियोजना सहित)''-

(क) ''स्वायत्तशासी/स्वैच्छिक संगठन/समितियों के माध्यम से चलाई जाने वाली परियोजनाएं'' - 1809.00 लाख रु. की बचत (3900.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों के पास अव्ययित शेषों के उपलबध रहने और जनसंख्या कार्यकलापों के लिए संयुक्त राष्ट्र निधि से सहायताप्राप्त भारत जनसंख्या विकास परियोजना के प्रजनन बाल स्वास्थ्य-II कार्यक्रम को अंतरित किए जाने के कारण हुईं।

(ख) ''यूएनएफपीए से प्राप्त सहायता के अधीन कार्यकलाप'' - 704.79 लाख रु. की बचत (1070.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सहायता के लिए प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण हुई।

(a) "Information, Education and Communication – RCH Project" – saving of Rs.625.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5500.00 lakhs); and

(b) "Information, Education and Communication Adolescent Health (RCH)" – saving of Rs.237.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.470.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-release of grant owing to non-receipt of Utilisation Certificates/Audited Statement of Accounts from the States and unspent balances lying with them.

(c) "Information, Education and Communication on PNDT Act" – saving of Rs.248.47 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs); and

(d) "Other Publicity Activities" – saving of Rs.473.45 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2200.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to non-receipt of proposals from States and Media Units of Ministry of Information and Broadcasting.

(D) "Selected Area Programmes (including India Population Project)" -

(a) "Projects through Autonomous/Voluntary Organisation/Societies" – saving of Rs.1809.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3900.00 lakhs) was due to unspent balances lying with the States and transfer of India Population Development Project assisted by United Nation Fund for Population Activities to Reproductive Child Health-II Programme.

(b) "Activities under assistance received from UNFPA" – saving of Rs.704.79 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1070.00 lakhs) was due to non-receipt of proposals for assistance.

(ङ) ''अन्य सेवाएं और आपूर्तियां''-

(क) ''गर्भ निरोधकों का सामाजिक विपणन''- 13051.78 लाख रु. की बचत (23816.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशुल्क आयोग द्वारा यथासंस्तुत कंडोमों के अधिप्राप्ति मूल्य में कमी किए जाने, सामाजिक विपणन संगठनों द्वारा अनुषंगी पैकेजिंग सामग्री की आपूर्ति न किए जाने और आदेश दिए जाने में विलंब होने की वजह से विनिर्माताओं द्वारा कंडोमों की अधूरी आपूर्ति किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''परिवार नियोजन सामग्री की नि:शुल्क आपूर्ति''- 2975.96 लाख रु. की बचत (17252.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशुल्क आयोग द्वारा यथासंस्तुत कंडोमों के अधिप्राप्ति मूल्य में कमी किए जाने, विनिर्माताओं द्वारा कंडोमों की अधूरी आपूर्ति किए जाने, आपूर्ति आदेश दिए जाने में विलंब होने और माला 'एन' मुंह से ली जाने वाली गर्भनिरोधक गोलियों की कम आपूर्ति किए जाने के कारण हुई।

(चा) ''अन्य व्यय''-

(क) ''उत्तर प्रदेश के लिए परिवार नियोजन सेवा परियोजना का नवीकरण''- 2923.20 लाख रु. की बचत (5000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिकरण द्वारा लक्ष्यों की उपलब्धि का प्रमाणीकरण न किए जाने की वजह से कम राशि जारी किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''विशेषज्ञों की यात्राा/सम्मेलन/बैठकें आदि''- 265.54 लाख रु. की बचत (320.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सूचना, शिक्षा और संचार बजट से स्वास्थ्य मेलों पर होने वाले व्यय को पूरा किए जाने के कारण हुई।

(ग) ''राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के अंतर्गत उपाय''- 2186.82 लाख रु. की बचत (3000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वास्थ्य बीमा योजना को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई।

(E) "Other Services and Supplies" -

(a) "Social Marketing of Contraceptives" – saving of Rs.13051.78 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.23816.00 lakhs) was due to reduction in procurement price of condoms as recommended by the Tariff Commission, non-supply of secondary packaging material by the Social Marketing Organisations and incomplete supplies of condoms by manufacturer owing to delay in placement of orders.

(b) "Free Supply of FP Material" – saving of Rs.2975.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.17252.00 lakhs) was due to reduction in procurement price of condoms as recommended by the Tariff Commission, incomplete supplies of condoms by manufacturers, delay in placement of supply orders and less supply of Mala 'N' Oral Contraceptive Pills.

(F) "Other Expenditure" -

(a) "Innovation in Family Planning Services Project for Uttar Pradesh" – saving of Rs.2923.20 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5000.00 lakhs) was due to less releases on account of non-certification of achievement of benchmarks by United States Agency for International Development.

(b) "Travel of Experts/Conferences/Meetings etc." – saving of Rs.265.54 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.320.00 lakhs) was due to meeting of expenditure on Health Melas from the Information, Education and Communication budget.

(c) "Measures under National Population Policy" – saving of Rs.2186.82 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.3000.00 lakhs) was due to non-finalisation of Health Insurance Plan.

(घ) ''राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग''- 719.65 लाख रु. की बचत (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) गैर-सरकारी संगठन स्कीम का प्रचालन न किए जाने, विदेश यात्राा पर रोक लगी होने, कुछ प्रकाशनों को अंतिम रूप न दिए जाने और तकनीकी कर्मचारियों की कमी की वजह से कुछ कार्यक्रम शुरू न किए जाने के कारण हुई।

(III) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) ''परिवार कल्याण - शहरी परिवार कल्याण सेवाएं''-

(क) ''शहरी परिवार कल्याण केंद्र''- 568.37 लाख रु. की बचत (6898.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) ''शहरी परिवार कल्याण केंद्रों का पुनर्गठन''- 436.50 लाख रु. की बचत (6350.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत बचतें असम, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, बिहार और उड़ीसा राज्यों के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध रहने के कारण हुई।

(खा) ''परिवार कल्याण - मातृत्व और बाल स्वास्थ्य - राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम और पोलियो उन्मूलन का सुदृढ़ीकरण''- 10902.48 लाख रु की बचत (82830.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों को नेमी वैक्सीन की कम आपूर्ति किए जाने और निविदाओं को अंतिम रूप न दिए जाने की वजह से स्वत: नष्ट हो जाने वाली सिरिंजों और कोल्ड चेन उपस्करों की अधिप्राप्ति न किए जाने के कारण हुई।

(गा) ''परिवार कल्याण - अन्य सेवाएं और आपूर्तियां - परिवार नियोजन सामग्री की नि:शुल्क आपूर्ति''- 288.59 लाख रु. की बचत (16497.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशुल्क आयोग द्वारा यथासंस्तुत कंडोमों के अधिप्राप्ति मूल्य में कमी किए जाने के कारण हुई।

(d) "National Commission on Population" – saving of Rs.719.65 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to non-operation of Non-Government Organisation Scheme, ban on foreign travel, non-finalisation of certain publications and not taking-up of certain programmes owing to shortage of technical staff.

(III) Under Major Head "3601" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Family Welfare – Urban Family Welfare Services" -

(a) "Urban Family Welfare Centres" – saving of Rs.568.37 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6898.00 lakhs); and

(b) "Revamping of Urban Family Welfare Centres" – saving of Rs.436.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6350.00 lakhs).

Savings under the above two heads were due to unspent balances lying with the States of Assam, Chhattisgarh, Uttranchal, Bihar and Orrisa.

(B) "Family Welfare – Maternity and Child Health – Strengthening of National Immunisation Programme and Polio Eradication" - saving of Rs.10902.48 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.82830.00 lakhs) was due to less supply of routine vaccine to States and non-procurement of Auto Disposal Syringes and Cold Chain Equipments owing to non-finalisation of tenders.

(C) "Family Welfare – Other Services and Supplies – Free Supply of Family Planning Material" – saving of Rs.288.59 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.16497.00 lakhs) was due to reduction in procurement price of condoms as recommended by the Tariff Commission.

(घा) ''परिवार कल्याण - प्रशिक्षण''-

(क) ''एएनएम/एलएचवी का प्रशिक्षण''- 1037.22 लाख रु. की बचत (7086.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ख) ''स्वास्थ्य और परिवार कल्याण प्रशिक्षण केंद्र'' - 241.40 लाख रु. की बचत (1512.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ग) ''बहु-प्रयोज्य कामगारों का प्रशिक्षण''- 236.00 लाख रु. की बचत (957.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(ङ) ''परिवार कल्याण - निदेशन और प्रशासन - राज्य/जिला परिवार कल्याण ब्यूरो का रख-रखाव''- 2629.11 लाख रु. की बचत (24984.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(चा) ''परिवार कल्याण - ग्रामीण परिवार कल्याण - उप केंद्र'''- 58253.62 लाख रु. की बचत (181100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई।

उपर्युक्त पांच शीर्षों के अंतर्गत बचतें राज्यों के पास अव्ययित शेषों के उपलब्ध रहने के कारण हुईं।

(IV) मुख्य शीर्ष ''3602'' - ''केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - परिवार कल्याण - अन्य सेवाएं और आपूर्तियां - परिवार नियोजन सामग्री की निःशुल्क आपूर्ति'' के अंतर्गत 285.38 लाख की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) प्रशुल्क आयोग द्वारा यथासंस्तुत कंडोमों के अधिप्राप्ति मूल्य में कमी कर दिए जाने और दिल्ली राज्य एड्स नियंत्राण समिति द्वारा कंडोमों का परेषण स्वीकार न किए जाने के कारण हुई।

(V) मुख्य शीर्ष ''3606'' - ''संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि से सहायता - राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम और पोलियो उन्मूलन के सुदृढ़ीकरण के लिए सामग्री सहायता'' के अंतर्गत 2737.85 लाख रु. की बचत (13000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्यों आदि से प्राप्ति

(D) "Family Welfare – Training" -

(a) "Training of ANM/LHV" – saving of Rs.1037.22 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.7086.00 lakhs);

(b) "Health and Family Welfare Training Centres" – saving of Rs.241.40 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1512.00 lakhs);

(c) "Training of Multi Purpose Workers" – saving of Rs.236.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.957.00 lakhs);

(E) "Family Welfare – Direction and Administration – Maintenance of State/Distt. Family Welfare Bureau" – saving of Rs.2629.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.24984.00 lakhs); and

(F) "Family Welfare – Rural Family Welfare– Sub Centres" – saving of Rs.58253.62 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.181100.00 lakhs).

Savings under the above five heads were due to availability of unspent balances with the States.

(IV) Under Major Head "3602" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Family Welfare – Other Services and Supplies – Free Supply of Family Planning Material" – saving of Rs.285.38 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to reduction in procurement price of condoms as recommended by the Tariff Commission and non-acceptance of the consignment of condoms by Delhi State AIDS Control Society.

(V) Under Major Head "3606" – "Assistance from United Nations International Children's Emergency Fund – Material Assistance for Strengthening of National Immunisation Programme and Polio Eradication" – saving of Rs.2737.85 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.13000.00 lakhs) was due to less

की पुष्टि न होने की वजह से वैक्सीनों का कम समायोजन किए जाने के कारण हुई।

(VI) चार शीर्षों के अंतर्गत 267.82 लाख रु. की बचतें हुई जो प्रत्येक में 50.00 लाख रु. से अधिक परंतु 100.00 लाख रु. से कम और स्वीकृत प्रावधान का 19 प्रतिशत से 62 प्रतिशत तक थीं।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (106326.78 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2211" के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अगस्त, 2005 और मार्च, 2006 में 2.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:-

(का) "प्रशिक्षण - पुरुषों की भागीदारी"- 66.20 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 84.13 लाख रु. था।

(खा) "अनुसंधान और मूल्यांकन - भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली"- 400.00 लाख रु.।

(गा) "मातृत्व और बाल स्वास्थ्य - प्रजनन और बाल स्वास्थ्य परियोजना"- 103661.58 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 89656.92 लाख रु. था।

(घा) "जन शिक्षा"-

(क) "मुख्यालय में कार्यकलाप"- 1707.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 1694.58 लाख रु. था।

(ख) "सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जन संचार इकाइयों के माध्यम से व्यय"- 492.00 लाख रु.। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 247.35 लाख रु. था।

(II) उपर्युक्त बचतें मुख्य शीर्ष "3602" - "केंद्रीय रूप से प्रायोजित योजना स्कीमों के लिए अनुदान - परिवार कल्याण - मातृत्व और बाल स्वास्थ्य - राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम और पोलियो उन्मूलन का सुदृढ़ीकरण" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं - 221.69 लाख

adjustment of vaccines owing to non-confirmation of receipt from States etc.

(VI) Under four heads savings of Rs.267.82 lakhs occurred, each exceeding Rs.50.00 lakhs but not exceeding Rs.100.00 lakhs and constituting 19 percent to 62 percent of the sanctioned provision.

2.(I) The above savings were partly (Rs.106326.78 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grants of Rs.2.00 lakhs in August, 2005 and March, 2006 under Major Head "2211" - under the following heads:-

(A) "Training - Male Participation" - Rs.66.20 lakhs. Actual excess, however, was Rs.84.13 lakhs.

(B) "Research and Evaluation - Indian Council of Medical Research, New Delhi" – Rs.400.00 lakhs.

(C) "Materntiy and Child Health – Reproductive and Child Health Project" – Rs.103661.58 lakhs. Actual excess, however, was Rs.89656.92 lakhs.

(D) "Mass Education" -

(a) "Activities at Headquarters" – Rs.1707.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.1694.58 lakhs.

(b) "Expenditure through Media Units of Ministry of Information and Broadcasting" – Rs.492.00 lakhs. Actual excess, however, was Rs.247.35 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3602" – "Grants for Centrally Sponsored Plan Schemes – Family Welfare – Maternity and Child Health – Strengthening of National Immunisation Programme and Polio Eradication" – excess of Rs.221.69 lakhs (against

रु. का अधिक व्यय (1000.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) संघ राज्य क्षेत्रा की सरकारों को प्रत्याशा से अधिक वैक्सीन जारी किए जाने के कारण हुआ।

the sanctioned provision of Rs.1000.00 lakhs) was due to release of more vaccines to Union Territory Governments.